अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

पिन्टू बनाम **फूलचंद आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 65/2016 **निर्णय दिनांक– 05.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 55 रकबा 2.1800 हैक्टेयर, खसरा सं. 66 रकबा 2.0100 हैक्टेयर, खसरा सं. 72 रकबा 0.2000 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का खेड़ी राड़ान, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. माणकचन्द रामावतार पि. चन्द्रा नाराणी भंवरी पुत्री चन्दा हि. 1/2 जगदीश रामनिवास पि. बोयताराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	55	2.18 हैक्टेयर	बा.1 1.85 बा.2 0.33	11.40 1.63
	किता 1	2.18 हैक्टेयर	–	13.03
2. भागु पुत्र डूंगा राहिन पीएनबी शाखा बीदासर मूर्तहीन जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.10 हैक्टेयर 0.99 हैक्टेयर	बंजड़ 2 गै.मु. 0.02 बा.1 0.97	0.10 – 5.98
	किता 2	1.09 हैक्टेयर	–	6.08
3. सन्तोष पत्नी बाबूलाल पिन्टु मुकेश पि. बाबूलाल हि.ब. राहिन पीएनबी शाखा बीदासर मूर्तहीन जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.05 हैक्टेयर 0.32 हैक्टेयर	बंजड़ 2 गै.मु. 0.01 बा.1 0.31	0.05 – 1.91
	किता 2	2.18 हैक्टेयर	–	1.96
4. फूलचन्द पुत्र सुरजा हि. 1/2 राहिन पीएनबी शाखा बीदासर किस्तुरी पत्नी सुरजा हि. 1/2 जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.05 हैक्टेयर 0.70 हैक्टेयर	बंजड़ 2 गै.मु. 0.01 बा.2 0.12 बा.1 0.57	0.04 – 0.63 3.51
	किता 2	0.75 हैक्टेयर	–	4.18

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.06.2018 को केम्प राजपुर में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

05.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प राजपुर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/भू.अ./2018/1101 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 55 रकबा 2.1800 हैक्टेयर, खसरा सं. 66 रकबा 2.0100 हैक्टेयर, खसरा सं. 72 रकबा 0.2000 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का खेड़ी राड़ान, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. माणकचन्द रामावतार पि. चन्द्रा नाराणी भंवरी पुत्री चन्दा हि. 1/2 जगदीश रामनिवास पि. बोयताराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	55	2.18 हैक्टेयर
	किता 1	2.18 हैक्टेयर
2. भागु पुत्र डूंगा राहिन पीएनबी शाखा बीदासर मूर्तहीन जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.10 हैक्टेयर 0.99 हैक्टेयर
	किता 2	1.09 हैक्टेयर
3. सन्तोष पत्नी बाबूलाल पिन्टु मुकेश पि. बाबूलाल हि.ब. राहिन पीएनबी शाखा बीदासर मूर्तहीन जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.05 हैक्टेयर 0.32 हैक्टेयर
	किता 2	2.18 हैक्टेयर
4. फूलचन्द पुत्र सुरजा हि. 1/2 राहिन पीएनबी शाखा बीदासर किस्तुरी पत्नी सुरजा हि. 1/2 जाति जाट सा.देह	72 मि. 66 मि.	0.05 हैक्टेयर 0.70 हैक्टेयर
	किता 2	0.75 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– राजपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official